नम्बर / वर्ष 20 / 2023 अनवानी युनस अली बनाम हाकम अली

तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए
2/5/25	हमने उभयपक्षों की बहस प्रार्थना पत्र 10 सीपीसी पर सुनी गई। प्रार्थना पत्र 10 सीपीसी की बहस का विवेचन किया गया है:– प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की पूर्व में एक वद अनवानी हाकमअली बनाम रजाक वाद संख्या 340 / 2047 जो कि श्रीमानजी की द्वारा दिनांक 25.10.2021 का अन्तिम डिक्री किया जा चुका है जिसकी अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष एक ही निर्णय की दो अपीले अलग अलग अनवानी युनस बनाम हाकमअली अपील संख्या 37 / 2022 वा अपील अनवानी समसुदीन बनाम गुलामरसूल आदि अपील संख्या 43 / 2022 पेश की गई माननीय न्यायालय ने दिनांक 17.01.2023 को निर्णय पारित किया जाकर उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय दिनांक 25.10.2021 को निरस्त कर दिया माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 17.01.2023 अपील संख्या 43 / 2022 व प्रकरण संख्या 43 / 2022 समसूदीन बनाम गुलामरसूल आदि की अपील न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान में अपील संख्या 3464 / 2023 अनवानी ज्योती बनाम समसूदीन पेश की गई जो जैरकार है जिसमें आगामी तारीख पेशी 22.04.2024 निर्धारित है। इस न्यायालय के द्वारा वाद संख्या 340 / 2017 जो कि दिनांक 25.10.2021 को डिक्री किया गया था जिसकी पूर्व की स्थिति राजस्व रिकार्ड में बहाल करने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि मूल वाद न्यायालय में नही है जो कि राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा तलब किया जा चुका है मूल पत्रावली के अभाव में कोई भी आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नही है। प्रकरण में वर्णित भूमि की अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन है अर्थात पक्षकारो के मध्य वाद विचाराधीन है प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन रहते किसी प्रकार का आदेश पारित नही किया जा सकता है अतः प्रकरण की कार्यवाही माननीय राजस्व मण्डल के आदेश / निर्णय तक स्थगित रखी जावे। वादी / अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की श्रीमानजी की अदालत का निर्णय एव डिक्री दिनांक 25.10.2021 के आधार पर नामान्तकरण संख्या 810 दिनांक 07.02.2022 तस्दीक किया जा चुका है वह राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 17.01.2023 के आधार पर श्रीमानजी की अदालत का निर्णय व डिक्री दिनांक 25.10.2021निरस्त होने के कारण ईन्तकाल संख्या 810 दिनांक 07.02.2022 कानूनन निरस्त हो चुका है इसलिये ईन्तकाल संख्या 810 दिनांक 07.02.2022 से पूर्व की स्थिति राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना आवश्यक है राजस्व मण्डल में अपील जैरकार है कोई स्थगन आदेश नही है इसलिये प्रार्थना पत्र की कार्यवाही को किसी भी प्रकार से रोका / स्थगित नही किया जा सकता है प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज फरमावे। हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार हस्तगत प्रकरण में वर्णित भूमि के सम्बध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मं अपील विचाराधीन है जिसे उभयपक्षों के द्वारा स्वीकार किया गया है। प्रार्थी का कथन है कि राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन अपील के अन्तिम निर्णय तक प्रकरण की कार्यवाही स्थगित रखे तथा वादी / अप्रार्थी का कथन है राजस्व मण्डल में विचाराधीन वाद में कोई स्थगन नही है इसलिये वाद की कार्यवाही स्टे नही किया जा सकता है दोनो पक्षों के कथन विरोधाभाषी है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.30 13:15:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु०)

	अपील को दावा की लगातार जारी प्रक्रिया माना जाता है जब तक अन्तिम रूप से निर्णय नही आ जाता तब तक अधिनस्थ न्यायालय को अपने यहॉ जारी प्रकरणों / प्रार्थना पत्रों की कार्यवाही को स्टे रखी जानी आवश्यक है अन्यथा न्याय प्रक्रिया अनावश्यक बहुविविधता पैदा होती है इस न्यायालय के निर्णय के विरूद्व द्वितीय अपील राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन है अपील के निर्णय तक इस प्रार्थना पत्र की कार्यवाही को स्थगित को स्थगित रखा जाना विधिसम्मत है। वादी / अप्रार्थी का कथन है कि इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.10.2021 को माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 17.01.2023 द्वारा निरस्त किया जा चुका है इसलिये निर्णय दिनांक 25.10.2021 से पूर्व की स्थिति राजस्व रिकार्ड में बहाल रखी जावे स्वीकार योग्य नही है क्योकि माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के निर्णय के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील पेश / विचाराधीन है अर्थात राजस्व अपील अधिकारी का निर्णय अभी अन्तिम निर्णय नही हुआ है राजस्व अपील अधिकारी के विरूद्व अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है जिसके निर्णय उपरान्त ही निर्धारण होगा की राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ का निर्णय दिनांक 17.01.2023 अन्तिम है या नही उससे पूर्व किसी भी प्रकार का आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नही है। न्यायालय में विचाराधीन वाद में किसी भी प्रकार का आदेश पारित किये जाने से राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन प्रकरण प्रभावित हो सकता है तथा इस न्यायालय की मुल वाद पत्रावली को भी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा तलब किया जा चुका है मुल वाद के अभाव में किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नही है। हस्तगत प्रकरण में वर्णित भूमि एव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन प्रकरण /अपील में वर्णित भूमि एक समान है एवं पक्षकार भी समान है जिसके कारण भी हस्तगत वाद में किसी प्रकार की कार्यवाही / आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार इस न्यायालय के निर्णय /डिक्री दिनांक 25.10.2021 के विरूद्व प्रथम अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष पेश की गई थी जिसमें माननीय न्यायालय ने दिनांक 17.01.2023 को निर्णय पारित किया जाकर इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 25.10.2021 को निरस्त किया गया था जिसके विरूद्व द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में पेश की गई जो विचाराधीन है जिसमें इस न्यायालय की मुल पत्रावली भी भिजवाई जा चुकी है अर्थात उपखण्ड अधिकारी नोहर का निर्णय दिनांक 25.10.2021 व राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 17.01.2023 के विरूद्व अपील विचाराधीन चल रही है कोई भी आदेश अन्तिम नही है जब तक उक्त में कोई भी निर्णय अन्तिम निर्णय नही हो जाता तब तक प्रार्थना पत्र में किसी भी प्रकार का आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नही है माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन अपील के निर्णय उपरान्त ही तय होगा की कोनसा निर्णय अन्तिम है तब तक प्रार्थना पत्र पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने से न्याय प्रक्रिया अनावश्यक बहुविविधता पैदा होती अतः राजस्व मण्डल के निर्णय तक प्रार्थना पत्र की कार्यवाही को स्थगित रखा जाना उचित है। अतः प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र 10 सीपीसी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर हस्तगत प्रकरण में आगामी कार्यवाही राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन अपील में अन्तिम निर्णय पारित होने तक स्थगित की जाती है। निर्णय आज दिनांक [illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी नोहर (हनु०)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.30 13:15:46 IST
Reason: SelfAttested